

## पुलिस अधीक्षक ने इकौना सर्किल के थानों की अपराध समीक्षा



आवस्ती 20 फरवरी (मिठांस०)। पुलिस अधीक्षक बनारसगढ़ निवेशना ने इकौना सर्किल के थाना इकौना, थाना एनएमपीटी बाजारहाट व निलाल की अपराध समीक्षा की। इकौना सर्किल के थाना इकौना में 30, थाना निलाल में 20, थाना एनएमपीटी बाजारहाट में 20 तथा 3 विवेचनाएँ लखित पाई गई। पुलिस अधीक्षक ने लम्हित विवेचनाओं की समीक्षाप्रणाली पाया गया कि जिन विवेचनों हावा विवेचनाओं के

निलालम् में जावेक मध्यस नहीं किये जा रहे थे उन सभी विवेचनों को कड़े निरोग निराम दिए। लखि ही साथ सख्त संकलन कर । सलाल में युवकतारुणी निलालम् करने से हुए अधर्यक दिवाह—निरोग भी दिए। तत्प्रथात् पुलिस अधीक्षक छाता वारित / बारटी अधिवृक्तों की गिरजालारी तक लखित प्रश्नों का नीं तुगवतारुणी व्याहीन निलालम् से हुए प्रभारी निरोग सहित सभी विवेचनों का निरोग दिया गया।

## एससी एसटी के अभियोग में चार आरोपियों को हुई सजा

आवस्ती 20 फरवरी (मिठांस०) पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में न्यायालय एससी/एसटी एकट जनपद आवस्ती ने थाना इकौना क्षेत्र अंतर्गत विपक्षीगण द्वारा वादी के पिता व चाचा को जाति सूचक शब्दों से गाली गुप्ता देते हुये मारना—पीटने व जान—माल की धमकी देने के अपराध में रिकू सिंह उर्फ संदीप सिंह पुत्र में दोषी मानते हुये 04 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 06-06 हजार रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

20 / 2021

धारा

323,504,506,307 भाद्रि,

3(1)(द) व धारा 3(1)(घ) व ६

गारा3(2)(ट) एससीएसटी एकट

में दोषी मानते हुये 04 वर्ष के

कठोर कारावास व प्रत्येक को

06-06 हजार रु0 के अर्थदंड

से दण्डित किया गया।